रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2004/वैशाख 8, 1926
No. 414] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2004/VAISAKHA 8, 1926

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2004

का.आ. 539(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत जारी भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तारीख 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं0 का. आ. 78 (अ) और तारीख 27 सितम्बर, 1996 की का. आ. सं. 660 (अ) द्वारा आंध्र प्रदेश में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 का 52.8 कि.मी. से 163.6 कि.मी. खंड (पुनः निर्धारित चैनेज के अनुसार 54.383 से 165.183 कि.मी.) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 का 217 कि.मी. से 265 कि.मी. खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है ;

और प्राधिकरण ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खंड के विकास के लिए सीआईडीबी इनवेंचर्स एसडीएन बीएचडी ,सूट 15-3, 15वां तल, विश्मा यूओए II, सं0 21,जालान पिनांग 50450 कुआलालंपुर, मलेशिया (इसे आगे रियायतग्राही कहा गया है) के साथ समझौता किया है ;

और केंद्र सरकार ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खंड के विकास के लिए तथा प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के बीच किए गए उक्त समझौते के संदर्भ में उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर फीस लगाने और वसूल करने के लिए फीस अधिसूचना जारी करने के लिए प्राधिकरण के साथ समझौता किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस की वसूली) नियमावली, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खंड के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिधत पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण, तथा प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के

बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 का 52.8 कि.मी. से 163.6 कि.मी. खंड (पुनः निर्धारित चैनेज के अनुसार 54.383 से 165.183 कि.मी.) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 का 217 कि.मी. से 265 कि.मी. खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से उक्त करार की समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

परिभाषाएं:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

(i) "वास्तविक फीस" का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित समुचित पथकर बूथों के बीच की दूरी और इस अधिसूचना की अनुसूची में दी गई आधार फीस के आधार पर सड़क प्रयोक्ता से वसूल की गई वास्तविक फीस है ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" का अभिप्राय वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख से है, यह तारीख वह तारीख होगी जिसको आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 का 52.8 कि.मी. से 163.6 कि.मी. (पुनः निर्धारित चैनेज के अनुसार 54.383 से 165.183 कि.मी.) खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 का 217 कि.मी. से 265 कि.मी. खंड को चार लेन का बनाए जाने पर स्वतंत्र परामर्शदाता पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जो भी हो, जारी करता है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख" का अभिप्राय उस तारीख से है जब उक्त करार के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार समाप्त होता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त किया जाता है ।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 का 52.8 कि.मी. से 163.6 कि.मी. (पुनः निर्धारित चैनेज के अनुसार 54.383 से 165.183 कि.मी.) खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 का 217 कि.मी. से 265 कि.मी. खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने के लिए 1 जुलाई,1997 के अनुसार फीस की दरें ।

क्रम सं0	**यान का प्रकार**	**आधार फीस प्रति वाहन प्रति फेरा फीस की दर (रुपए प्रति कि मी)**
1.	2.	3.
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के माल वाहन	0.70
3.	ट्रक	1.40
4.	बस	1.40
5.	अर्थमूविंग उपस्कर व भारी निर्माण मशीनरी तथा बायलर, टरबाइन और जेनरेटर आदि ढोने वाले बड़े आकार के वाहन	3.00

नोटः-

(i) यह फीस 1 जुलाई से एक वर्ष के लिए संशोधित की जाएगी । संशोधित फीस की गणना (संगणित फीस) इस प्रकार की जाएगी

$$\text{आधार फीस} \times \frac{WPI_1}{WPI_0}$$

यहां

*WPI_0= 31 मार्च, 1997 को WPI

*WPI_1= 31 मार्च को WPI; फीस संशोधन की तारीख से पहले

(ii) वसूल की जाने वाली वास्तविक फीस 5 रु0 के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस से छूट दी जाएगी अर्थात् :-

(1) यान -

(क) जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले अथवा निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

(i) भारत के राष्ट्रपति,

(ii) भारत के उप राष्ट्रपति,

(iii) राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल

(iv) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,

(v) सी डी/सी सी नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,

(vi) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो यदि वे वाहन में हों, अथवा

(vii) संपूर्ण देश में संसद के सदस्य अथवा अपने - अपने राज्य में राज्य की विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य यदि वह यथास्थिति संसद अथवा राज्य की संबंधित विधायिका द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं,

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता ।

(2) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान ।

3. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और ऐसी फीस लगाने और रियायतग्राही का नाम, पता, टेलीफोन संख्या जिसे शिकायत यदि कोई हो, संबोधित की जानी है, पथकर चौकी से 500 मी0 आगे, पथकर चौकी से 100 मी0 आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से

संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो ।

4. रियायतग्राही फीस की वसूली के लिए प्रभारी के तौर पर एक अधिकारी नामित करेगा तथा रियायतग्राही और ऐसा नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि फीस की वसूली सड़क प्रयोक्ताओं को अनुचित कठिनाई पहुंचाए बगैर और राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड पर फीस की वसूली से संबंधित अन्य सभी मामलों में किसी कठिनाई के बगैर निर्बाध रूप से हो और सहमत दरों से अधिक फीस वसूल न हो ।

5. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट प्राप्त दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:-

(क) स्थानीय निजी यातायात : विशेष श्रेणी के वाहन के लिए लागू फीस का 25 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए 'स्थानीय निजी यातायात ' का अभिप्राय है और इसमें शामिल है निजी वाहन जो किसी व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास दर्ज कराया गया हो जो सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के कुछ भाग का ही प्रयोग करता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को कार्यस्थल या आवास से आने और जाने के लिए सामान्य यात्रा में एक से अधिक पथकर प्लाजा को पार किए बगैर राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खंड पर यात्रा करने के लिए ऐसे वाहन का उपयोग करना होता है ।

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विशेष श्रेणी के वाहन के लिए लागू फीस का 50 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए 'स्थानीय वाणिज्यिक यातायात' का अभिप्राय किसी वाणिज्यिक वाहन से है जिसमें बस, ट्रक, हल्के मोटर वाहन या टैक्सी जो माल और यात्री ढोने के कार्य में लगे हों और एक से अधिक पथकर प्लाजा को पार किए बगैर परियोजना राजमार्ग पर नेमी रूप से चलने के लिए रियायतग्राही के पास दर्ज हों ।

6. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से न्यूनतम 10 दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों (इनमें से एक स्थनीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा । ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार संशोधित दर के प्रभावी होने से 10 दिन पहले प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाएगा ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-37011/73/2003-पीआईसी]
इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2004

S.O. 539(E).— WHEREAS, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 78 (E) dated 4th February 1999 and S.O. number 660 (E) dated 27th September 1996, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the section from km 52.8 to km 163.6 (km 54.383 to km 165.183 as per reassigned chainages) of the National Highway number 5 and part of the National Highway number 9 from km 217 to km 265 respectively, both in the State of Andhra Pradesh with the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

AND, WHEREAS, the Authority has entered into an agreement with CIDB Inventures SDN BHD, Suite 15-3, 15th Floor, Wisma UOA II, No. 21, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the development of the said section of the said National Highways;

AND, WHEREAS, the Central Government has entered into an agreement with the Authority for the development of the said section of the said National Highways and to issue Fee Notification to levy and collect the Fees from the said National Highways in terms of the aforesaid agreement entered into between the Authority and the said Concessionaire;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/ permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the National Highways, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement entered into between the Authority and the said Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section starting from km 52.8 to km 163.6 (km 54.383 to km 165.183 as per reassigned chainages) of the National Highway number 5 and part of the National Highway number 9 from km 217 to km 265, both in the State of Andhra Pradesh at the rates specified in the Schedule below, and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation till the date of termination of the said agreement.

Definitions. – For the purposes of this notification, -

(i) "actual fee" means the fee actually charged on the road user based on both the distance between the appropriate toll booths as may be approved by the Authority and the base fee given in the Schedule to this notification;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the section from km 52.8 to km 163.6 (km 54.383 to km 165.183 as per reassigned chainages) of the National Highway number 5 and part of the National Highway number 9 from km 217 to km 265, both in the State Andhra Pradesh begins which shall be the date on which the Independent Consultant issues the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, upon completion of four laning of the said Highway;

(iii) "date of termination" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice.

SCHEDULE

(Rate of base fee to be recovered from the users of National Highway number – 5 from km 52.8 to km 163.6 (km 54.383 to km 165.183 as per reassigned chainages) and part of National Highway number – 9 from km 217 to km 265 applicable as on July 1, 1997)

S. NO.	CATEGORY OF VEHICLE	BASE FEE RATE OF FEE PER VEHICLE PER TRIP (IN RUPEES PER KM)
(1)	(2)	(3)
1.	A Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Goods Vehicle (LGV)	0.70
3.	Truck	1.40
4.	Bus	1.40
5.	Earth moving equipment and heavy construction machinery including oversized vehicles carrying boilers, turbines, generators, etc.	3.00

Notes. -

(i) The aforesaid fee will be revised with effect from July 1 for one year. The revised fee shall be computed ("Computed Fee") as follows:

$$\text{Base Fee} \times \frac{WPI_1}{WPI_0}$$

Where

- WPI_0 = is the WPI on March 31,1997
- WPI_1 = is the WPI on March 31; preceding the fee-revision date.

(ii) The actual fees to be charged shall be rounded off to the nearest five rupees.

2. The following types of vehicles shall be exempted from the fee specified above in the Schedule, namely: -

(i) vehicles-

(A) having "VIP" symbols; or officially belonging to -

a) President of India;
b) Vice-President of India;
c) Governor of a state or Lt. Governor of a Union Territory;
d) A Foreign Dignitary on State visit to India;
e) A Foreign diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates;
f) Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or
g) a Member of Parliament, in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Posts and Telegraph Department vehicles, and Central Government and State Government vehicles on duty.

3. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

4. The Concessionaire shall nominate an official as in-charge of fee collection, and the Concessionaire as also the official so nominated shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users, and for all other matters connected with the fee collection of said section of national highway.

5. The Concessionaire shall not collect any fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in excess of the following discounted rates, namely: -

(a) Local Personal Traffic: Twenty five percent of the applicable fees for the specific category of vehicle.

Explanation: - For the purpose of this clause "Local Personal Traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the Concessionaire by any person who normally be approaches only by using a part of the said section of the National Highways and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section of the National Highways, without crossing more than one of the Toll Plazas, in the course of normal travel to and from his place of work or residence.

(b) Local Commercial Traffic: Fifty percent of the applicable fees for the specific category of vehicle.

Explanation: - For the purpose of this clause "Local Commercial Traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the project highway without crossing more than one of the Toll Plazas.

6. The concessionaire shall publish substance of this notification at least in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the commercial operation date. Such substance shall also be repeated every year, ten days prior to giving effect to revised rate as per this notification.

[F. No. RW/NH-37011/73/2003-PIC]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) & Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.